पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-40/2024 **दिनांक- 05.02.2024**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना निजामाबाद पर नियुक्त उ0नि0 कन्हैया लाल मौर्या द्वारा महिला को अभियुक्त हाफिज अरमान के कब्जे से मुक्त कराते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार करने हेतु पुलिस अधीक्षक ने दिया 15 हजार रूपये का नकद पुरस्कार; प्रशस्ति पत्र व माह जनवरी के सर्वश्रेष्ठ विवेचक की ट्राफी

➡ उ0नि0 कन्हैया लाल मौर्या थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही में संकलित साक्ष्यों व साईबर/ सर्विलांस सेल से प्राप्त जानकारी के आधार पर नामजद आरोपी पीड़िता को जनपद गोरखपुर में अभियुक्त हाफिज अरमान पुत्र अब्दुल खालिक निवासी अमरुतानी बाग रसूलपुर थाना गोरखपुर जनपद गोरखपुर के कब्जे में पाया।

➡ दौरान विवेचना प्रकाश में आया कि पीड़िता एक मोबाइल ऐप्प के माध्यम से हाफिज अरमान से जुड़ी जिसने फर्जी आइडी बनाकर पीड़िता से दोस्ती कर लिया तथा पीड़िता का नम्बर ले लिया तथा बहाना बनाकर पीड़िता से कई बार मे कुल 06 लाख 80 हजार रुपये अपने खाते में ट्रान्सफर करा लिया था। पैसा वापस मांगने पर बहला फुसलाकर गोरखपुर बुला लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता को हाफिज अरमान के कब्जे से मुक्त कराते हुए हाफिज अरमान को गिरफ्तार कर मुकदमा उपरोक्त में धारा 342, 376, 419, 420, 406, 506 भादवि0 की बढ़ोत्तरी करते हुए विवेचना को निस्तारित किया गया है।

➡ उ0नि0 कन्हैया लाल मौर्या द्वारा विवेचना के निस्तारण में उत्कृष्ठ योगदान के लिये **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य** द्वारा दिनांक- 05.02.2024 को 15 हजार रूपये का नकद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र व माह जनवरी के सर्वश्रेष्ठ विवेचक की ट्रॉफी प्रदान किया गया है।

थाना- जहानागंज
दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

दिनांक- 17.01.2024 को वादिनी मुकदमा/पीड़िता थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी अवनीश कुमार पुत्र लालचन्द निवासी मातनपुर थाना कंधरापुर आजमगढ़ द्वारा पीड़िता को शादी को झांसा देकर दिनांक 05.12.23 को पीड़िता के घर से बहला-फुसलाकर भगा ले गया था तथा पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारिरिक सम्बन्ध बनाया गया, जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 21/2024 धारा 366/376/323/120बी भादवि बनाम अवनीश आदि पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ.नि. मोती लाल पटेल द्वारा सम्पादित की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 05.02.2023 को प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अवनीश कुमार पुत्र लालचन्द निवासी मातनपुर थाना कंधरापुर आजमगढ़ को करनपुर बाजार के चक्रपानपुर रोड के गन्ना क्रेसर के पास से समय करीब 11.40 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु.अ.स. 21/2024 धारा 366/376/323/120बी भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1-अवनीश कुमार पुत्र लालचन्द निवासी मातनपुर थाना कंधरापुर आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1-मु.अ.स. 21/2024 धारा 366/376/323/120बी भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

निरीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना- मेंहनगर

किशोरी के साथ छेड़खानी करने व फोटो वायरल करने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

वादिनी ने मुकदमा ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 01.02.24 को विपक्षी रोहित चौहान पुत्र शम्भू चौहान निवासी घटिया थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी मुकदमा की लड़की उम्र 17 वर्ष को समय 4 बजे शाम फोटो खींच कर वायरल करना और कालेज जाते समय छेड़खानी करते रहना व वादिनी के घर में घुस छेड़कानी किया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 37/24 धारा 354,452 भादवि व 67बी आईटी एक्ट व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम रोहित चौहान पुत्र शम्भू चौहान निवासी घटिया थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत हुआ।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 05.02.24 को निरीक्षक जयप्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रोहित शर्मा पुत्र स्व0 शम्भू चौहान निवासी घटिया थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को गोपालपुर बाजार से समय 10.00 बजे पर पुलिस हिरासत में लिया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु.अ.सं. 37/24 धारा 354,452 भादवि व 67बी आईटी एक्ट व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1- रोहित शर्मा पुत्र स्व0 शम्भू चौहान निवासी घटिया थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1- निरीक्षक जयप्रकाश यादव मय हमराह हे0का0 भैयालाल यादव थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

थाना- मेंहनगर

चोरी के सामान व अवैध तमंचा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

वादी मुकदमा बलधारी यादव S/0 श्री सन्नू यादव R/O मोहम्मदपुर नियामतपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ ने थाना मेंहनगर पर लिखित तहरीर दी कि वादी मुकदमा की साउण्ड सर्विस की दुकान है। कस्बा मेंहनगर मे निरंजन कुटी के पास स्थित है दिनाक 20.12.23 को निरंजन कुटी प्रांगण से मेरी एम्पलीफायर मशीन (SSA250m) आहुजा लगाकर रामकथा का कार्यक्रम चल रहा था अज्ञात द्वारा मशीन चोरी कर लिया तथा निरंजन कुटी की भी एक एम्पलीफायर मशीन दिनाक 21.01.24 को चोरी हो गयी। जब एम्पलीफायर मशीन का काफी खोजबीन के बाद भी कोई पता नही चला, जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 38/23 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना अभियुक्त अम्बुज शर्मा पुत्र महेन्द्र शर्मा साकिन गहुनी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ के पास से उक्त चोरी का सामान बरामद हुआ

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण ....

दिनांक- 04.02.24 को उ0 नि0 सुर्यप्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त अम्बुज शर्मा पुत्र महेन्द्र शर्मा निवासी गहुंनी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर ग्राम गहुंनी से चोरी गये एम्प्लीफायर मशीन (1) AHUJA-55A-250M, (2) PRO-TEQ-55A-150M, तथा अवैध 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस .12 बोर के साथ समय 21.20 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 42/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुए मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु.अ.सं. 38/24 धारा 379/411 भादवि थाना मेंहनगर आजमगढ़

2.मु0अ0सं0 42/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना मेंहनगर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 58/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना मेंहनगर आजमगढ़

2.मु0अ0सं0 60/23 धारा 7/3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर आजमगढ़

3.मु0अ0सं0 103/18 धारा 457/380/411 भादवि थाना तरवा जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- अम्बुज शर्मा पुत्र महेन्द्र शर्मा निवासी गहुंनी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:-

1- एम्प्लीफायर मशीन (1) AHUJA-55A-250M, (2) PRO-TEQ-55A-150M,

2- एक तमंचा 12 बोर व एक जिन्दा कारतुस 12 बोर बरामद हुआ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम – उ0नि0 सूर्यप्रताप सिंह मय हमराह थाना मेंहनगर आजमगढ़

थाना-दीदारगंज

लड़की को अगवा करने का आरोपी गिफ्तार।

पूर्व का विवरण-

दिनांक 25.01.24 को वादिनी मुकदमा ने थाना दीदारगंज पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी गुलशन पुत्र रामहरी निवासी सुरहन थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ द्वारा वादिनी मुकदमा की लड़की को बहला-फुसलाकर कही भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 19/24 धारा 366/363 भादवि पंजीकृत हुआ था जिसमें अभियुक्त उपरोक्त फरार चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 05.02.2024 को उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त गुलशन पुत्र रामहरी निवासी सुरहन थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ को सुरहन मोड़ के पास से समय करीब 8.35 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त गिरफ्तार का चालान मा0 न्यायालय किय गया है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 19/24 धारा 366/363 भादवि थाना दीदारगंज, आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त– गुलशन पुत्र राम हरि निवासी सुरहन थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0 19/24 धारा 366/363 भादवि थाना दीदारगंज, आजमगढ़।

बरामदगी- 01 मोबाइल

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1-चौकी प्रभारी उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार मय हमराह थाना दीदारगंज आजमगढ़

थाना- सरायमीर

हत्या के प्रयास में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 04.02.2024 को थाना स्थानीय पर प्रा0पत्र दिया गया कि मेरे भाई अनिल कुमार सोनी (50 वर्ष) प्रति दिन मार्निगवाक करने पवईलाडपुर स्थित अपने हाते तक जाते है दिनाँक 04.02.2024 को हर दिन के भाति मेरे बड़े भाई अनिल कुमार सोनी अपने अनिल जायसवाल पुत्र स्व0 रामअनुज जायसवाल निवासी महाजनी टोला थाना सरायमीर व संतरी प्रजापति पुत्र रामविनय प्रजापति निवासी रेलवे क्रासिंग पुनापोखर थाना सरायमीर के साथ मार्निगवाक पर अपने हाते तक गये थे हाते से वापस आते समय जब वह नन्दाँव मोड़ पर स्थित प्रिंस बैट्री हाउस के पास लगभग 8 बजे पहुचे तब उसी समय जमीन व फौजदारी की मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर बद्री जायसवाल के ललकारने पर प्रिंस जायसवाल पुत्र दिनेश जायसवाल, हेमन्त जायसवाल पुत्र दिनेश जायसवाल तथा हेमन्त जायसवाल के दुकान पर काम करने वाले अभिषेक गौड़ पुत्र जगदीश गौड निवासी फरीदुनीपुर व उसके साथ आये मोनू व रमेश ने जान से मारने की नीयत से मेरे भाई के ऊपर लाठी डण्डा व राड से मारे तथा गाली देते हुए जान से मारने का प्रयास किया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0- 55/2024 धारा 147/323/504/506/307 भादवि बनाम बद्री जायसावल आदि 06 नफर के विरुद्ध थाना स्थानीय अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियोग उपरोक्त में दो नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान मा0न्यायालय किया गया। शेष फरार अभियुक्तगण की गिरफ्तारी अकब से की जायेगी।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 05.02.2024 को उ0नि0श्री संदीप कुमार शर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.हेमन्त जायसवाल पुत्र दिनेश जायसवाल नन्दाव मोड़ कस्बा सरायमीर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष 2. बद्री जायसलव पुत्र स्व0 राधेश्याम जायसवाल नन्दाव मोड़ कस्बा सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 72 वर्ष को आजमगढ़ रोड पर स्थित गोरे सिंह के कलेशर वाले रास्ते पर समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0स0- 55/2024 धारा 147/323/504/506/307 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.हेमन्त जायसवाल पुत्र दिनेश जायसवाल नन्दाव मोड़ कस्बा सरायमीर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

2. बद्री जायसलव पुत्र स्व0 राधेश्याम जायसवाल नन्दाव मोड़ कस्बा सरायमीर जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरणः-

1- एक डण्डा व एक लोहे की राड बरामद।

गिरफ्तार करने वाले टीम-

1- उ0नि0 संदीप कुमार शर्मा मय हमराह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।